

**न्यायालय-साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी**  
**जिला अशोकनगर म0प्र0**

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-497 / 12  
संस्थित दिनांक- 10.12.2012  
Filing number- 235103001152012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>
<b>विरुद्ध</b>
1. विशाल पुत्र नर्मदा प्रसाद शर्मा उम्र 24 साल निवासी- बायपास रोड गुर्जर कॉलोनी गुना म0प्र0 <span style="float: right;">.....आरोपी</span>
2. विक्रम सिंह पुत्र यशपाल उम्र 34 साल निवासी- शांति कॉम्पलेक्स लक्ष्मीगंज गुना म0प्र0 <span style="float: right;">.....फरार</span>

**: : निर्णय : :**

**(आज दिनांक- 18.01.18 को घोषित किया गया)**

**01-** अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196, 51/177, 5/180 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 19.10.2012 को 5:30 बजे ग्राम बरोदिया के मोड़ आम रास्ते में मोटरसाईकिल एमपी08 एमएच 7174 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं फरियादी, आहत की मोटरसाईकिल यूपी94 एचसी 7606 में अपनी उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर उस पर बैठे बहुदर की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा मोटरसाईकिल से फरियादी आहत की मोटरसाईकिल में उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारते हुए उस पर बैठे हाकिम सिंह को चोट पहुँचाकर उपहति कारित की एवं मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया तथा मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चालन कर धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन किया एवं मोटरसाईकिल को उसका स्वामी होते हुए धारा 3 व 4 के उल्लंघन में चलाकर धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन किया एवं मोटरसाईकिल को धारा 51 के उपबंधों के उल्लंघन में चालन किया।

**02-** प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि फरियादी बहादुर सिंह एवं आरोपी विशाल का दिनांक 03.10.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी विशाल को धारा 338 भा0द0वि0 के तहत दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में अवलोकनीय है कि प्रकरण के अन्य आरोपी **विक्रम सिंह** पूर्व से **फरार** है एवं यह निर्णय आरोपी विशाल के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि नरेन्द्र सिंह प्रधान आरक्षक को अशोकनगर थाने से तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच के दौरान साक्षीगणों के कथन लिये तो आरोपी विशाल शर्मा ने उसकी मोटरसाईकिल नम्बर एमपी08 एचएच 7174 को तेजी व लापरवाही से चलाकर बहादुर सिंह व हाकिम सिंह को टक्कर मारी दी। आहतगणों को चोटे होने से इलाज के लिये कयाल सर्जिकल अस्पताल अशोकनगर में कराया गया था। तहरीर अशोकनगर से प्राप्त होने से मेडिकल अशोकनगर में कराया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04—** यह उल्लेखनिय है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में आरोपी को अस्वीकार किया गया था, किन्तु दिनांक 18.01.18 को आरोपी विशाल द्वारा अपना अपराध स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर, भय, दबाव के स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 337 भा0द0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196, 51/177 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहा है। फलतः अभियुक्त को धारा 279 एवं 337 भा0द0वि0 के तहत 500—500/— रुपये के अर्थदण्ड से तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 में 2000/— रुपये के अर्थदण्ड से, 146/196 में 500/— रुपये एवं 51/177 में 100/— के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने अभियुक्त को प्रत्येक धारा के लिये 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

**05—** प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाईकिल क० एमपी08 एमएच 7174 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**06—** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**07—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

*Criminal Case No-417/09*  
Filling number-235103001152012

न्यायालय—साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण कमांक—497 / 12  
संस्थित दिनांक— 10.12.2012

Filling number 235103001152012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
विरुद्ध
1. विशाल पुत्र नर्मदा प्रसाद शर्मा उम्र 24 साल निवासी— बायपास रोड गुर्जर कॉलोनी गुना म0प्र0 .....आरोपी
2. विक्रम सिंह पुत्र यशपाल उम्र 34 साल निवासी— शांति कॉम्पलेक्स लक्ष्मीगंज गुना म0प्र0 .....फरार

: : निर्णय : :

(आज दिनांक— 18.01.18 को घोषित किया गया)

**01—** अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0द0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196, 51/177, 5/180 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का अभियोग है कि दिनांक 19.10.2012 को 5:30 बजे ग्राम बरोदिया के मोड़ आम रास्ते में मोटरसाईकिल एमपी08 एमएच 7174 को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं फरियादी, आहत की मोटरसाईकिल यूपी94 एचसी 7606 में अपनी उक्त मोटरसाईकिल को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारकर उस पर बैठे बहादुर की अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की तथा मोटरसाईकिल से फरियादी आहत की मोटरसाईकिल में उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टक्कर मारते हुए उस पर बैठे हाकिम सिंह को चोट पहुँचाकर उपहति कारित की एवं मोटरसाईकिल को बिना रजिस्ट्रेशन के चालन किया तथा मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चालन कर धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन किया एवं मोटरसाईकिल को उसका स्वामी होते हुए धारा 3 व 4 के उल्लंघन में चलाकर धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन किया एवं मोटरसाईकिल को धारा 51 के उपबंधों के उल्लंघन में चालन किया।

**02—** प्रकरण में यह भी स्वीकृत है कि फरियादी बहादुर सिंह एवं आरोपी विशाल का दिनांक 03.10.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी विशाल को धारा 338 भा0द0वि0 के तहत दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में अवलोकनीय है कि प्रकरण के अन्य आरोपी **विक्रम सिंह** पूर्व से **फरार** है एवं यह निर्णय आरोपी विशाल के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

**03—** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि नरेन्द्र सिंह प्रधान आरक्षक को अशोकनगर थाने से तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच के दौरान साक्षीगणों के कथन लिये तो आरोपी विशाल शर्मा ने उसकी मोटरसाईकिल नम्बर एमपी08 एचएच 7174 को तेजी व लापरवाही से चलाकर बहादुर सिंह व हाकिम सिंह को टक्कर मारी दी। आहतगणों को चोट होने से इलाज के लिये कयाल सर्जिकल अस्पताल अशोकनगर में कराया गया था। तहरीर अशोकनगर से प्राप्त होने से मेडिकल अशोकनगर में कराया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, मोटरसाईकिल को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

**04—** यह उल्लेखनिय है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में आरोपी को अस्वीकार किया गया था, किन्तु दिनांक 18.01.18 को आरोपी विशाल द्वारा अपना अपराध स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी डर, भय, दबाव के स्वीकार किया गया है। अतः

**05—** अर्थदण्ड की राशि अदा अभियुक्त को उसके विरुद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 279, 337 भा0द0वि0 एवं धारा 39/192, 146/196, 51/177 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में

उपस्थित रहा है। फलतः अभियुक्त को धारा 279 एवं 337 भा0द0वि0 के तहत 500-500/- रुपये के अर्थदण्ड से तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 में 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से, 146/196 में 500/- रुपये एवं 51/177 में 100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। न करने अभियुक्त को प्रत्येक धारा के लिये 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

**06-** प्रकरण में जप्तसुदा मोटरसाईकिल क0 एमपी08 एमएच 7174 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**07-** अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**08-** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

*Criminal Case No-417/09*  
Filling number-235103001152012